

उम्र जमा
करने

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/25	<p>खावली पेश हुई अभिवाचक समय पत्र सपरिचित है। आप उपर्युक्त अधिकारी सार्व कार्यवश बाहर दौर में तशरीफ़ लाने में मन्जूर कार्य में बदात है। अभिवाचकमण कन्सोलेशन पर है। जत खवली सार्विक कार्यवाही हेतु दिनांक 18/12/25 को पेश है</p> <p style="text-align: right;">६१</p>	
18/12/25	<p>वकील वादी 94-P बहम उममपशा खुनी गई पडावली वास्ते आदेश दि० 26/12/25 को पेश हो १</p>	
26/12/25	<p>वडावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वाद वादी साइड में दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृष्ठ से लिखा जाऊ (रखुले न्याया. सुनाया जाऊ गा. मि० किया गया। पडावली फैसल शुमा होऊ नम्बर से कम हो। बाह तामील तामील निममानुसा खारिज दफ्तर हो १</p> <p style="text-align: center;">७५</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं०
53/दावा/2018

तारीख दायरा
09.07.2018

तारीख फैसला
26.12.2025

1. पुष्पा बाई बेवा रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी बरुधन जय मुख्तयार कन्हैयालाल पुत्र लालचन्द्र निवासी बूंदी मृतक जय कायम मुकाम
1/1. श्रीमति कमला बाई आयु 77 वर्ष पति श्री लालचन्द्र जाति ब्राह्मण नि० मीणो का मोहल्ला लाडपुर तह० तालेडा जिला बूंदी।

वादी

बनाम

1. देवलाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति मीणा नि० बरुधन तह० तालेडा जिला बूंदी राज०।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार साहब तालेडा जिला बूंदी।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता वादी :- श्री राजकुमार गौतम

अधिवक्ता प्रतिवादी :-

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खं० सं० 1211 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा तथा खं० सं० 1212 रकबा 1 बीघा कुल कित्ता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बरुधन तह० तालेडा में विस्थित है जो कि वादीनी के पति रामचन्द्र की पुष्टेनी सम्पति है जो रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादीनी के खाते दर्ज होकर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी द्वारा दिनांक 20.06.2018 को सीमाज्ञान करवाने पर ज्ञात हुआ कि वादीनी की लगभग 1 बीघा भूमि प्रतिवादी 1 के कब्जे में है। वादीनी के अस्वस्थ होने से दिनांक 20.06.2018 को वादीनी का जवाई लालचन्द्र एवं दोहिता चन्द्रशेखर कृषि भूमि पर देखने के लिये गये तो प्रतिवादी सं० 1 व उसके परिवार जन ने वादीनी के जवाई व दोहिते के साथ मारपीट की घटना कारित की एवं 21.06.2018 को लगभग 1 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल बो दी एवं धमकी दी की भूमि पर कोई आया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। वादीनी की समझाईश पर भी प्रतिवादी सं० 1 ने कब्जा सम्भलाने से मना कर दिया। वादीनी वृद्ध महिला एवं गम्भीर बिमारी से ग्रसित होने से जय मुख्तयार कन्हैयालाल शर्मा यह वाद प्रस्तुत किया गया। श्रीमान से प्रार्थना है कि बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री फरमायी जाकर प्रतिवादी सं० 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को सम्भलाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जय नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं० 1 ने जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि वाद वर्णित आराजी पर वादीनी एवं उसके पूर्वजो का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादीनी ने किस भूमि बाबत प्रतिवादी का कब्जा होना अंकित नहीं किया गया है ना ही तथाकथित दिनांक पर सीमाज्ञान करवाया गया। प्रतिवादी वाद वर्णित भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादीनी ने कभी भी कब्जे की मांग नहीं की। प्रतिवादी 40 वर्षों से वाद वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है एवं उक्त भूमि पर वादीनी कभी आयी ही नहीं इसलिये वाद कारण के अभाव में वाद स्वारिज योग्य है। वादीनी ने यह वाद पत्र मियाद बाहर पेश करने से स्वारिज योग्य है। वादीनी ने यह वाद पत्र जिस मुख्तयार नामा के आधार पर पेश किया वह प्रोपर स्ताम्पित नहीं रजिस्टर्ड है इसलिये कन्हैयालाल को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने से वाद वादी स्वारिज योग्य है।

वाद पत्र एवं जवाब दावा के आधार पर दिनांक 11.10.2019 को निम्नांकित तनकीयात कायम की -

1. आया वादीनी को अधिकार प्राप्त है कि वादीनी प्रतिवादी सं० 1 को बेदखल करवाकर कब्जा भूमि प्राप्त करे। वादीनी



2. आया प्रतिवादी का कब्जा निर्बाध होने, वादीनी का वाद मियाद बाहर होने तथा वादिनी के वाद का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी
3. अनुतोष

वादीनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी मुख्तारान कन्हैयालाल आठ लालचन्द एवं नन्दलाल आठ मन्नालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी संवत् 2072-75 वाके ग्राम बरुधन प्रदर्श-1, मुख्तारानामा प्रदर्श-2, प्रस्तुत किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दोराने बहस वकीलवादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीनी की भूमि खं0 सं0 1211 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा तथा खं0 सं0 1212 रकबा 1 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम बरुधन तह0 तालेडा में विस्थित है जो कि वादीनी के पति रामचन्द्र की पुश्तेनी सम्पति है जो रामचन्द्र की मृत्यु के पश्चात वादीनी के खाते दर्ज होकर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी द्वारा दिनांक 20.06.2018 को सीमाज्ञान करवाने पर ज्ञात हुआ कि वादीनी की लगभग 1 बीघा भूमि प्रतिवादी 1 के कब्जे में है। श्रीमान से निवेदन है कि बहक वादीनी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद डिक्री फरमायी जाकर प्रतिवादी सं0 1 को वाद वर्णित कृषि भूमि से बेदखल किया जाकर कब्जा वादीनी को सम्भलाया जावे।

वाद पत्र में कायम तनकीयात का तनकीवाद विवेचन निम्नानुसार है।

1. आया वादिनी को अधिकार प्राप्त है कि वादिनी प्रतिवादी सं0 1 को बेदखल करवाकर कब्जा भूमि प्राप्त करे। वादीनी
इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी पर था। वादिनी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी प्रदर्श-1 एवं साक्ष्य गवाह पीडब्ल्यू-1, पीडब्ल्यू-2 पेश किये जिनके अवलोकन से यह प्रमाणित है कि वाद वर्णित आराजी प्रार्थीया के खातेदार अधिकार की भूमि है किन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रमाणित नहीं होता कि प्रतिवादी द्वारा वादिनी की भूमि के किस हिस्से पर एवं कब से कब्जा किया हुआ है। वादिनी ने वाद पत्र में अंकित तथ्य बाबत सीमाज्ञान का भी कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ना ही कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादिनी के विरुद्ध प्रतिवादी के पक्ष में प्रमाणित होती है।
2. आया प्रतिवादी का कब्जा निर्बाध होने, वादीनी का वाद मियाद बाहर होने तथा वादिनी के वाद का वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से खारिज होने योग्य है।
इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा जवाब वाद पत्र में यह अंकित किया है कि वाद वर्णित आराजी पर प्रतिवादी का वर्षा से कब्जा काश्त है, जिसका प्रमाण वादिनी द्वारा स्वयं वाद पत्र वास्ते बेदखली भूमि से प्रमाणित है किन्तु प्रतिवादी का वाद वर्णित आराजी से कब से कब्जा है इस बाबत कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जो कि वाद वर्णित आराजी पर कब्जे की अवधि को प्रमाणित करे। ऐसी स्थिति में वादिनी के वाद को मियाद बाहर माना जाना अनुचित है ना ही प्रतिवादी द्वारा निर्बाध कब्जा काश्त बाबत कोई दस्तावेज पेश किया गया। केवल मात्र पक्षकारो द्वारा अपने कथनों में कब्जा होना एवं निर्बाध कब्जा होना अंकित किया है जो कि प्रमाणिकता से परे है वादीनी अथवा प्रतिवादी क्रम 1 ने कोई दस्तावेज/अंकन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह तनकी वादिनी के विरुद्ध प्रतिवादी के पक्ष में आंशिक स्वीकार की जाती है।
3. अनुतोष- बहस वादी, वाद पत्र में अंकित तथ्य, प्रतिवाद पत्र, साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर तनकीवार विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादिनी प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित करने में असफल रहने से अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य दस्तावेज के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)

उपस्यण्ड अधिकारी

तालेडा